

बिहार सरकार
कृषि विभाग

21

पत्रांक:-3/कृषि बजट विविध-उपयोगिता-19/2015 263 कृ० पटना दिनांक:-.....19/01/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया/अरवल/औरंगाबाद/पश्चिमी चम्पारण/पूर्वी चम्पारण
/बाँका/पटना/बगुसराय/दरभंगा/भभुआ/भागलपुर/भोजपुर/सुपौल/बक्सर/समस्तीपुर/
मधुबनी/गया/गोपालगंज/नालंदा/जमुई/कटिहार/खगड़िया/वैशाली/मधेपुरा/मुँगेर/
मुजफ्फरपुर/नवादा/पूर्णियाँ/सहरसा/सारण/सासाराम/शेखपूरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सिवान
/लखीसराय/किशनगंज/जहानाबाद।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2002-2003 से 2014-2015 (दिनांक-31.03.2015 तक) की अवधि का ए०सी०/डी०
सी० विपत्र एवं 2003-2004 से 2013-2014 (दिनांक-28.02.2014) तक की अवधि तक सहायक
अनुदान मद में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक:-10634 दिनांक -22.12.2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र के द्वारा कृषि विभाग पर अद्यतन
लंबित ए०सी० विपत्रों की सूची तथा UC की सूची उपलब्ध कराया गया है। इससे कार्यालयवार संकलित
करके विवरणी तैयार किया गया है। इन कार्यालयवार लंबित ए०सी० विपत्रों तथा UC की सूची पुनः भेजी
जाती है। पूर्व में विभागीय पत्रांक:-5542 दिनांक-09.12.2014, पत्रांक:-5716 दिनांक-21.11.2013 एवं
पत्रांक:-5246 दिनांक-30.11.2013 द्वारा लंबित राशि की सूची भेजी गयी थी, परन्तु उसका अनुपालन अभी
तक अप्राप्त है। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई बैठकें की गईं, कई स्मार-पत्र दिया गया, परन्तु फिर भी
राशि लंबित है।

अतएव पुनः लंबित राशि की विवरणी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने एवं अधीनस्थ
कार्यालयों पर लंबित ए०सी० विपत्र तथा UC से संबंधित विपत्रों का समायोजन हेतु त्वरित कार्रवाई करते
हुए समायोजन कराया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाज्ज,


(रामजी सिंह)

सरकार के अपर सचिव,

/कृ०, पटना, दिनांक: - 19/01/2016

ज्ञापांक-

263

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव,

ज्ञापांक-

263

/कृ०, पटना, दिनांक: - 19/01/2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

